राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

क्रमांकः– एफ 10(28)प्रचार/सान्याअवि/2020/ 45598-670 जयपुर, दिनांकः 15/09/2020

समस्त जिला कलेक्टर,
राजस्थान

विषयः–समाज कल्याण सप्ताह 1 अक्टूबर, 2020 से 7 अक्टूबर, 2020 के आयोजन के संबंध में।

महोदय,

जैसा कि आपको विदित है कि प्रतिवर्ष 1 अक्टूबर, 2020 से 7 अक्टूबर, 2020 तक समाज कल्याण सप्ताह का आयोजन किया जाता है। इस वर्ष COVID–2019 को ध्यान में रखते हुए समाज कल्याण सप्ताह का आयोजन यथासंभव ऑनलाईन/वर्चुअल माध्यम से किया जाये।

चूँकि COVID–2019 के प्रोटोकाल के तहत बड़े आयोजन नहीं किये जायेंगे, अतः इस वर्ष हमारा यह उद्देश्य है कि सभी पात्र लाभार्थियों को उनकी पात्रता अनुसार राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत लाभान्वित किया जाये, जैसे कि पेंशन सत्यापन, पालनहार का सत्यापन, बंद हुयी पेंशन का सत्यापन एवं भुगतान प्रक्रिया को पुनः प्रारम्भ करना सिलिकोसिस लाभार्थियों को समय पर योजनाओं के तहत लाभान्वित किया जाना इत्यादि।

सभी लम्बित स्वीकृतियों/प्रकरणों का निस्तारण इस सप्ताह के दौरान एक अभियान के रूप में किया जाए।

प्रतिवर्ष की भाँति इस वर्ष भी इस सप्ताह के दौरान किये जाने वाले कार्य को विभिन्न दिवसों में बांटा गया है, जो निम्न प्रकार हैः–

- 1 अक्टूबर, 2020– अन्तर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस
- 2 अक्टूबर, 2020– अनुसूचित जातियों का कल्याण दिवस
- 3 अक्टूबर, 2020– अपराधी सुधार दिवस
- 4 अक्टूबर, 2020– बाल दिवस
- 5 अक्टूबर, 2020– महिला एवं बालिका कल्याण दिवस
- 6 अक्टूबर, 2020– जन चेतना दिवस

- 7 अक्टूबर, 2020–विशेष योग्यजन कल्याण दिवस एवं समाज कल्याण सप्ताह का समापन

अतः आपसे निवेदन है कि उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए स्थानीय जनप्रतिनिधियों एवं स्वयंसेवी संस्थाओं के सहयोग से इन कार्यक्रमों को प्रभावी तरीके से सम्पादित किया जाये, जिससे अधिक से अधिक लोग लाभान्वित हो सकें।

भवदीया,

(गायत्री राठौड़)
शासन सचिव

क्रमांकः– एफ 10(28)प्रचार / सान्याअवि / 2020 / 45631-50 जयपुर, दिनांकः 15/9/20

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय राज्य मंत्री, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. आयुक्त, विशेष योग्यजन विभाग राजस्थान, जयपुर।
4. आयुक्त, बाल अधिकारिता विभाग राजस्थान, जयपुर।
5. समस्त अधिकारी, निदेशालय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. समस्त उपनिदेशक / सहायक निदेशक / जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी, राजस्थान।

निदेशक,
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग